



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN No. U32201UP1999SGC024928

पत्रांक :- 743-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-24-के/2020/लेखा स्कन्ध

दिनांक:- 10 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (पा०का०लि०) की मुख्यालय स्थित तथा परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), पा०का०लि० के नियन्त्रणाधीन विभिन्न इकाईयां एवं कार्यालयों यथा निधि प्रबन्ध, वाणिज्य स्कन्ध, नियोजन स्कन्ध, रेग्युलेटरी अफेयर यूनिट, रेस्यो, ई०एस०पी०सी०, पी०पी०ए०, कम्प्यूटराईजेशन इकाई, अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता)/पुलिस अधीक्षक (सतर्कता-विद्युत कोष्ठ) के कार्यालय, विद्युत सेवा आयोग, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान तथा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा पा०का०लि० की सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों यथा पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं केस्को हेतु विद्युत उत्पादकों से बल्क ऊर्जा क्रय कर विद्युत वितरण निगमों को बल्क विद्युत आपूर्ति करना, विद्युत क्रय दायित्वों का भुगतान, विद्युत निगमों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में ए०आर०आर० दाखिल किया जाना, नीति निर्धारण, वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण हेतु समन्वय, शासन से समन्वय, कार्मिकों की नियुक्ति व उनको प्रशिक्षण दिया जाना तथा कामन कैंडर के कार्मिकों का अधिष्ठान एवं सेवानैवृत्तिक दायित्वों के निस्तारण सम्बन्धी कार्य व अन्य आनुषंगिक कार्य किये जा रहे हैं। उपरोक्त कार्यों के सम्पादन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की लेखीय इकाईयों के लेखों में कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्यय, ब्याज व अन्य वित्तीय लागत, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय, सम्पत्तियों पर ह्रास, देनदारों, चालू सम्पत्तियों व विनियोगों पर उनके मूल्य में कमी/संदिग्ध देनदारों के लिये कुछ प्रावधान किये जाते हैं, साथ ही फिक्स डिपॉजिट/विनियोग पर आय व आय के अन्य मदों में कुछ धनराशि विविध आय (Other Income) शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित होती है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में रेगुलेटरी अफेयर यूनिट (आर०ए०यू०) द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये किये जा रहे कार्य सम्पादन के दृष्टिगत पा०का०लि० के ओ०एण्डएम० व्ययों को वितरण निगमों पर भारित किए जाने का अभिमत दिया है। अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभिमतानुसार पा०का०लि० के ओ०एण्डएम० व्ययों में से भारण योग्य व्ययों को सुसंगत आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों पर भारित किया जाना आवश्यक है ताकि इन व्ययों के वित्त पोषण हेतु सरल व सुदृढ़ व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके।

उपरोक्तानुसार व्ययों के भारण हेतु, निदेशक मण्डल से कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में, पा०का०लि० की लेखीय इकाईयों (अनुलग्नक 'अ') के लेखों के अन्तर्गत व्ययों के मद में प्रदर्शित अवशेषों यथा कर्मचारी लागत तथा प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्यय, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय आदि को सहायक विद्युत वितरण कम्पनियों पर विगत वित्तीय वर्ष में कुल बिक्रीत ऊर्जा की मात्रा (एम०यू०) के अनुपात में, निम्नांकित बिन्दु-1 के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य सम्पादन कर रही इकाईयों/खण्ड/ संस्थान/कार्यालय आदि हेतु उ०प्र० ऊर्जा क्षेत्र की अन्य सम्बन्धित कम्पनियों व वितरण कम्पनियों को व्यय भारण की निर्दिष्ट व्यवस्था के प्रतिबन्धाधीन, भारित कर अन्तरित किया जाये। अग्रेतर पा०का०लि० के लेखों में प्रदर्शित स्थायी सम्पत्तियों के सापेक्ष आगणित ह्रास व इन सम्पत्तियों पर किये गये पा०का०लि० से सम्बन्धित मरम्मत व अनुरक्षण व्यय, पा०का०लि० द्वारा दिये गए बैंक चार्जज तथा लेखों में प्रदर्शित 'विनियोग', 'विविध देनदार' व 'अन्य सम्पत्तियों' पर क्रमशः इनके मूल्यों में कमी/संदिग्ध देनदार/संदिग्ध प्राप्ति हेतु किये गये प्रावधान की धनराशि का अन्तरण नहीं किया जायेगा। इसी क्रम में लेखों में प्रदर्शित पा०का०लि० से सम्बन्धित विविध आय को भी डिस्कोमस् को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

- 1.(क) कारपोरेशन की शक्ति भवन स्थित विद्युत जानपद इकाई (लो०को० 641), विद्युत अनुरक्षण इकाई (लो०को० 646) तथा विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई (पेन्शन सेल) (लो०को० 647) जो कि शक्ति भवन, शक्ति भवन विस्तार व शक्ति भवन परिसर पर वातानुकूलन, सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि शमन संयन्त्रों की व्यवस्था, लिफ्ट संचालन, मरम्मत व अनुरक्षण जैसी अन्य केन्द्रीकृत प्रसुविधायें पर व्यय करती है जिसका उपयोग शक्ति भवन स्थित उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के कार्यालयों द्वारा किया जाता है अतः केन्द्रीय प्रसुविधाओं पर हुए व्ययों को उक्त कम्पनियों के कार्यालयों द्वारा मुख्यालय भवनो पर अध्यासित क्षेत्र (Occupied area) के अनुपात में विभक्त किया जाये तथा

पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।

- (ख) विद्युत जानपद निर्माण खण्ड, लखनऊ (लो0को0 645) के द्वारा लखनऊ जनपद में स्थित पावर कारपोरेशन की आवासीय कालोनियों/स्कूल के वार्षिक अनुरक्षण एवं नलकूप संचालन के कार्यों हेतु आने वाले वित्तीय भार का वहन अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप 530-कार्य/चौदह-पाकालि/ 2020-13-के/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा किया जाएगा।
- (ग) कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), (लोकेशन कोड 983) के नियन्त्रणाधीन मुख्यालय लखनऊ पर तैनात अधिकारियों व अधिकारिकों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों में सृजित/क्रियाशील विद्युत चोरी निरोधक थाने एवं प्रवर्तन दल पर तैनात अधिकारियों एवं अधिकारिकों से सम्बन्धित कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्यय लेखों में प्रदर्शित होते हैं, अतः मुख्यालय लखनऊ पर तैनात अधिकारियों व अधिकारिकों से सम्बन्धित कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्ययों को छोड़कर, इन मदों में शेष धनराशि को विद्युत वितरण कम्पनियों पर उपरोक्तानुसार अधिकारियों एवं अधिकारिकों की तैनाती की संख्या के अनुपात में सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनी पर भारित कर अन्तरित किया जाये।
- (घ) कार्यालय पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (विद्युत कोष्ठ) (लोकेशन कोड 972) के नियन्त्रणाधीन अधिकारियों/अधिकारिकों से सम्बन्धित कर्मचारी लागत तथा प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्ययों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 तथा समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉमस व केस्को) के मध्य समान अनुपात (equal ratio) में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।
- (ङ) अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप 216-प्रशि0-10/पाकालि/2020-36-प्रसे0/99 टीसी-2 दिनांक 09 जून, 2020 में निहित निर्देशों के अनुसार विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (लोकेशन कोड 982) में सुरक्षा व्यवस्था, कम्प्यूटर आपरेटर, विविध अनुरक्षण कार्यों हेतु ओ0एण्डएम0 एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मद में व्यय होने वाली राशि को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (प्रत्येक द्वारा 19 प्रतिशत) तथा केस्को द्वारा 5 प्रतिशत की दर से वहन किया जाएगा।

संस्थान द्वारा पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 505/पी0सी0एल0/सी0ए0-ए0एस0/ट्रांसको दिनांक 14.11.2018 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार ट्रांसको को संस्थान की कर्मचारी लागत का 25% व्यय का अन्तरण नहीं किया जाएगा।

अतः संस्थान के लेखों में प्रदर्शित कर्मचारी लागत में से 10% राशि को तदर्थ आधार पर पा0का0लि0 के लिए रोकते हुये, शेष राशि को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम तथा केस्को पर उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट अनुपात में भारित कर अन्तरित किया जाएगा।

विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यदि ऊर्जा क्षेत्र की अन्य कम्पनियों यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/जल विद्युत निगम लि0 एवं बाह्य संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है तो उक्त व्ययों की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति संबंधित कम्पनियों/संस्थानों से प्राप्त करते समय संस्थान की मार्गदर्शक संस्था द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु जो धनराशि प्रति प्रशिक्षार्थी निर्धारित की जाए उसमें संस्थान के सभी व्ययों जैसे कि कर्मचारी लागत, आनुषंगिक ओ0एण्डएम0 व्यय इत्यादि को समाहित किया जाये।

- (च) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) (लोकेशन कोड 971) द्वारा मुख्य अभियन्ता संवर्ग एवं अवर अभियन्ता संवर्ग (कॉमन कैडर) के कर्मिकों के सम्बन्ध में तैनाती, अधिष्ठान, सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु कार्यवाही आदि कार्य सम्पादन की दशा के दृष्टिगत इस कार्यालय के लेखों में प्रदर्शित कर्मचारी लागत, प्रशासनिक, सामान्य व अन्य व्ययों आदि को समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में तैनात कॉमन कैडर के कर्मचारियों की संख्या में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।
- (छ) विद्युत सेवा आयोग (लोकेशन कोड 973) द्वारा समस्त वितरण निगमों, ट्रांसको, पा0का0लि0 के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के दृष्टिगत आयोग के समस्त व्ययों को विद्युत वितरण

कम्पनियों, ट्रांसको, पा0का0लि0 में रिक्त पदों की संख्या के अनुपात में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर व्ययों की शेष धनराशि को सम्बन्धित कम्पनियों पर भारित कर अन्तरित किया जाये।

- (ज) मुख्यालय भुगतान (लोकेशन कोड 992) द्वारा डिस्कामस् से सम्बन्धित योजनाओं के विज्ञापन व्ययों पर किये गये व्ययों को वर्तमान में व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में भारित किया जा रहा है। इसी प्रकार डिस्कामस के कार्मिकों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के भुगतान को सम्बन्धित डिस्कामस को भारित किया जा रहा है, अतः इस सम्बन्ध में अग्रतर किये जाने वाले व्ययों को व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में ही विद्युत वितरण कम्पनियों को यथावत भारित किया जाये तथा जहाँ पर कोई व्यय स्पष्टतः किसी विद्युत वितरण कम्पनी से सम्बन्धित है तो उक्त को सम्बन्धित वितरण कम्पनी पर भारित किया जायेगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 505/पी0सी0एल0/सी0ए0-ए0एस0/ट्रांसको दिनांक 14.11.2018 के द्वारा कर्मचारी लागत को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 पर भारित किये जाने वाले निर्देश वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए प्रभावी नहीं होंगे।

इकाई द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट से सम्बन्धित कर्मचारी लागत को समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा अंशदान के अनुपात में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर शेष धनराशि समस्त कम्पनियों को भारित करते हुये अन्तरित किया जाये।

- (झ) केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ (लोकेशन कोड 396) द्वारा डिस्काम से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं पर किये गये व्ययों को वर्तमान में व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में भारित किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में अग्रतर किये जाने वाले व्ययों को व्यय से सम्बन्धित अनुभाग के नियन्त्रक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में ही विद्युत वितरण कम्पनियों को यथावत भारित किया जाए, साथ ही जहाँ पर कोई प्रशासनिक व सामान्य व्यय स्पष्टतः किसी वितरण कम्पनी से सम्बन्धित है तो उक्त को सम्बन्धित वितरण कम्पनी पर भारित किया जायेगा।

प्रकोष्ठ द्वारा यू0पी0 पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट की कर्मचारी लागत व प्रशासनिक व सामान्य व्ययों के भुगतान को समस्त वितरण कम्पनियों, पावर कारपोरेशन, उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम तथा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के द्वारा अंशदान के अनुपात में तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रशासनिक व सामान्य व्ययों को समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा अंशदान के अनुपात में विभक्त किया जाये तथा पा0का0लि0 के अंश को छोड़कर शेष धनराशि समस्त कम्पनियों को भारित करते हुये अन्तरित किया जाये।

- (ञ) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय पर कार्यरत विभिन्न अनुभाग/कार्यालय में तैनात अधिकारियों/अधिकारिकों द्वारा सामान्यतः वितरण कम्पनियों के लिए नीति निर्धारण से लेकर विभिन्न पूंजीगत एवं राजस्व सम्बन्धी योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु की जा रही कार्यवाही एवं पा0का0लि0 (पृथक शीर्ष कम्पनी के रूप में) के कार्यों के सम्पादन के दृष्टिगत कारपोरेशन की मुख्यालय भुगतान एवं केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ से सम्बद्ध इकाईयों की कर्मचारी लागत के 50 प्रतिशत भाग को तदर्थ आधार पर पा0का0लि0 के लेखों में रोकते हुए, शेष 50 प्रतिशत को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (प्रत्येक को 9.5 प्रतिशत) तथा केरको में 2.5 प्रतिशत की दर से भारित कर अन्तरित किया जाएगा।

- (ट) 'प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रदर्शित ऐसे मद जिन पर किया गया व्यय स्पष्टतः पा0का0लि0 से सम्बन्धित है यथा पा0का0लि0 के अंकेक्षकों को देय अंकेक्षण शुल्क व उनका यात्रा व्यय, सम्पत्तियों का बीमा शुल्क, विद्युत व्यय, लेखन सामग्री व्यय, भवनों का किराया आदि को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की लेखा पुस्तकों में ही दर्शाया जाए। अग्रतर लीगल व्यय, कन्सल्टेन्सी, तकनीकी व प्रोफेशनल व्ययों के मद में प्रदर्शित राशि, जो कि पा0का0लि0 से सम्बन्धित है, को भी पा0का0लि0 की लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाए।

- (ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में अन्तरित हो रहे व्ययों के सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था यथावत् रहेगी।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखों में पूर्वावधि से सम्बन्धित व्ययों का लेखांकन किये जाने की दशा में उन व्ययों को भी उपरोक्तानुसार भारित व अन्तरित किया जाये।

3. उपरोक्त व्ययों का प्रोद्भूत आधार (Accrual basis) पर लेखांकन, जबतक की लेखीय नीति में पृथक रूप से उल्लेख न हो, सुनिश्चित करते हुये व्ययों के भारण व अन्तरण की कार्यवाही की जाये।

4. व्यय को भारित कर अन्तरित किये जाने के समय/सम्बन्ध में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो तदनुसार निर्णय लेते हुये अग्रिम दिशा-निर्देश निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
 5. उपरोक्त बिन्दुओं में व्यय के भारण हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को बिक्रीत ऊर्जा की मात्रा (एम०यू०), कर्मचारियों की संख्या, कम्पनियों में रिक्त पदों की संख्या, ट्रस्ट को अंशदान तथा कम्पनियों द्वारा भवनो में अध्यासित क्षेत्र आदि आधारों हेतु चालू वर्ष के ठीक पूर्व वर्ष के आंकड़े/सूचनायें प्रयोग में ली जायगी, उदाहरणार्थ वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्ययों के भारण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंकड़े/सूचनायें आगणन का आधार होंगी।
 6. उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु लेखा स्कन्ध द्वारा आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया निर्गत की जायगी।
 7. उपरोक्त व्ययों के भारण एवं अन्तरण पर नियमानुसार लागू/देय जी०एस०टी० को सम्बन्धित अन्तरिती कम्पनी/कारपोरेशन द्वारा वहन किया जाएगा तथा नियमानुसार स्रोत पर आयकर कटौती की जायगी, इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकरण में विधिक कसों से सम्बन्धित देयता बनती है तो उसे भी अन्तरिती कम्पनी/कारपोरेशन द्वारा वहन किया जाएगा। जी०एस०टी०, आयकर आदि के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार प्रक्रिया कारपोरेट टैक्स, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जारी की जायेगी तथा प्रक्रिया के अनुपालन में आने वाले किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु प्रकरण कारपोरेट टैक्स को सन्दर्भित किये जायेंगे।
- उपरोक्त व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2019-2020 से प्रभावी होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- 743-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-24-के/2020/लेखा स्कन्ध तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. निदेशक(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वितरण)/(वित्त)/(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
6. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा/पी०पी०ए०/कम्प्यूटराइजेशन इकाई/जल विद्युत/आर०ए०यू०/पी०एम०यू०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०सं०वि०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिदेशक(सतर्कता), शक्ति भवन विस्तार, (12वां तल) लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान(विद्युत कोष्ठ) डालीबाग, लखनऊ।
14. उप महाप्रबन्धक (निधि प्रबन्ध/लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
16. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को, कानपुर।
17. सचिव(ट्रस्ट), उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्पलइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. अधीक्षण अभियन्ता, आयात-निर्यात एवं भुगतान मण्डल, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशासी अभियन्ता, स्टेट डेजिगनेटिड एजेंसी, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
21. लेखाधिकारी/सहा०लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी०एम०यू०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आर.के. गुप्ता
(आर०के० गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लो०को० इकाई का नाम

- 300 परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा०प्र०) से सम्बद्ध इकाईयां
 325 विद्युत मण्डार क्रय मण्डल-तृतीय (ए०पी०डी०आर०पी०), लखनऊ
 327 विद्युत मण्डार क्रय मण्डल-प्रथम, महानगर, लखनऊ
 335 परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ
- 330 परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा०प्र०) से सम्बद्ध विद्युत बल्क क्रय-विक्रय से सम्बन्धित इकाई
 240 विद्युत आयात, निर्यात एवं भुगतान मण्डल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
- 640 परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा०प्र०) से सम्बद्ध विविध जानपदीय इकाईयां
 641 विद्युत जानपद इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ
 645 विद्युत जानपद निर्माण खण्ड (प्रथम), पा०का०लि०, अलीगंज, लखनऊ
 646 अनुरक्षण इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
 647 विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), शक्ति भवन, लखनऊ
- 970 परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सा०प्र०) से सम्बद्ध विविध इकाईयां
 971 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), शक्ति भवन, लखनऊ
 972 कार्यालय पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) (विद्युत कोष्ठ), डालीबाग, लखनऊ
 973 विद्युत सेवा आयोग, गोमती नगर, लखनऊ
 974 स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी, शक्ति भवन, लखनऊ
 982 विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ
 983 कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), शक्ति भवन, लखनऊ
- मुख्यालय इकाईयां
 991 केन्द्रीय भुगतान (वित्त प्रबन्ध), शक्ति भवन, लखनऊ
- 992 मुख्यालय भुगतान इकाई, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
- 994 पुर्नभुगतान एवं ब्याज भुगतान, शक्ति भवन, लखनऊ
- 998 प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
- 396 केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

PCL OSM
→ loading of expenses on account